न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 133 / 2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

किस्म :— प्रार्थना—पत्र

दायर दिनांक : 04.09.2025

—:अनवान:—

1. छगनलाल पिता नगजीराम जाति जाट निवासी सिन्देसर कलां तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

—प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पिता धनराज जाति जाट
2. मोहनलाल पिता धनराज जाति जाट
3. देवीलाल पिता चम्पालाल जाति जाट
   सभी निवासीयान सिन्देसर कलां तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. शिवलाल पिता जेराज जाति कुमावत निवासी चाम्पाखेड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द

...........**विपक्षीगण**

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की **आराजी संख्या 1102 रकबा 0.4371** है भूमि **ग्राम सिन्देसर कलां पटवार हल्का सिन्देसर कलां तहसील रेलमगरा** आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावें । फिस पत्थरगढ़ी 1000/— रूपये अक्षरे. **एक हजार** रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावें। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक **30.10.2025** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद

विशेष अभियान
लोक
अदालत